रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1175] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 1175] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

का.आ. 1500(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य में बवाना-नांगल और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अत:, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7
पटियाला	राजपुरा	नारदु	889	00	02	32
			891	00	00	21
			901	00	07	07
			902	00	11	02
			1591	00	02	22
			1592	00	0	24
			1593	00	04	83
			1594	00	04	51

[फा. सं. एल–14014/05/15–जी.पी.–II भाग–I]
एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

S.O. 1500(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Bawana-Nangal and spur pipeline in the State of Punjab, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) the Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area (Hectare-Are-Sq.mtr.)		
1	2	3	4	**5**	**6**	**7**
Patiala	Rajpura	Nardu	889	00	02	32
			891	00	00	21
			901	00	07	07
			902	00	11	02
			1591	0	02	22
			1592	00	00	24
			1593	00	04	83
			1594	00	04	51

[F. No. L-14014/05/15-G.P-II Part-I]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.